न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/161/2024 रजू दिनांकः 27.11.2024 रजि0 न0 2024/274

अपीलार्थीः–

श्री योगेश कुमार शर्मा पुत्र श्री भगवती प्रसाद, निवासी हजूरी दरवाजे बाहर, मौ0 पहाड़गज, जिला अलवर–301001 (राज0)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 30.12.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 23.08.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 09.12.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक यू.आई.टी./आर.टी.आई/2024/9222–23 दिनांक 30.12.2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी आरटीआई क्रमांक 309/24 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना आवेदन क्रमांक 4895/24 23.08.2024 के द्वारा सूचना/प्रतियां चाही गई थी, जिसमें अपीलार्थी को न्यास पत्रांक 6079 दिनांक 27.09.2024 के द्वारा सूचित कर न्यास द्वारा की गई कार्यवाही की प्रतियां पूर्व में ही दी जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील में जाने के कारण पुनः प्रतियां भिजवाई जा रही है।
5. पत्रावली का अवलोकन क़िया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत मय सलंग्नक जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदन दिनांक 23.08.2024 के द्वारां वांछित सूचना से पत्रांक 6079 दिनांक 27.09.2024 के द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकि है। तथापि अब सूचना आवेदन व प्रथम अपील के अनुसरण में प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक 9222–23 दिनांक 30.12.2024 के माध्यम से सूचना अपीलार्थी को भिजवाते हुए सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 30.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)